कार्यालयः–जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा (राज.)

क्रमांकः स्था/2020/ 18244

दिनांक 31-10-20

विज्ञप्ति

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्रांक जी/आई/ए–4(i)(a) 55/16/6013 दिनांक 29.10.2020 के क्रम में कोटा न्यायक्षेत्र में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों के विरूद्ध 01 सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सेवाएं राजस्थान सरकार कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ17(10) डीओपी/ए–II/94 दिनांक 08.02.2018 के अनुक्रम में समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति पर दिनांक 31.03.2021 तक अथवा रिक्त पदों के नियमानुसार भरने तक अथवा कर्मचारी की 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, की कालावधि के लिये सेवाएं ली जानी है।

शर्तें:–

01. उक्त पदों पर सेवाओं के फलस्वरूप समेकित पारिश्रमिक राशि उक्त परिपत्र के संलग्न परिशिष्ट–क के अनुसार होगी।
02. समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्त कार्मिक 01 वर्ष में 12 दिवस की वेतनिक आकस्मिक अवकाश के हकदार होगे। वे राजस्थान सेवा नियमों के अधीन उपार्जित अवकाश या किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के हकदार नहीं होंगे। बिना अवकाश के प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति के लिये मासिक पारिश्रमिक का 1/30 वां भाग काटा जायेगा।
03. समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्त कार्मिक की किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त किये जाने के दायित्व के अध्याधीन होगी।
04. कार्मिक को पुनर्नियुक्ति के समय सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
05. ऐसे सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिन्हें सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया था या जिन्हें किसी अन्य रीति से दण्डित किया गया था, के सम्बन्ध में समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति के लिये विचार नहीं किया जावेगा।

इच्छुक सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को विज्ञप्ति के संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप में मय वांछित दस्तावेज आवेदन प्रस्तुत करेंगे। उक्त सेवाएं माननीय राजथान उच्च न्यायालय से प्राप्त आदेशों/निर्देशों के अध्यधीन प्रभावी रहेंगी। उक्त सेवाएं कोटा न्यायक्षेत्र के समस्त मुख्यालयों पर रिक्त पदों के अनुसार ली जायेगी।

अतः सभी सम्बन्धित कों सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित शर्तों पर सेवाएं देने वाले इच्छुक सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दिनांक 10.11.2020 को 5:00 बजे तक इस कार्यालय मे अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवेदन के साथ निम्नांकित दस्तावेज संलग्न किये जाने आवश्यक है:–

01. विभाग द्वारा जारी सेवानिवृत्ति आदेश की प्रति
02. अंतिम भुगतान प्रमाण पत्र (एलपीसी) प्रति
03. पीपीओ की प्रति
04. विभागाध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण–पत्र (प्रारूप संलग्न है।)

31.10.2020

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
कोटा

क्रमांकः– स्था/2020/ 18245-18261

दिनांक 31-10-20

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
2. माननीय रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय, पीठ जयपुर।
3. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश...
4. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, कोटा
5. कोटा न्यायक्षेत्र के समस्त न्यायालयों के नोटिस बार्ड पर चस्पा हेतु सम्बन्धित न्यायालय..............
....
6. जिला जन सम्पर्क अधिकारी, कोटा को अखबार में साया हेतु।
7. सिस्टम ऑफिसर अदालत हाजा को कार्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. नोटिस बार्ड, न्यायालय हाजा।

31.10.2020

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
कोटा

विभागाध्यक्ष का प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.. पुत्र/पत्नी श्री..जो सेवानिवृत्ति से पूर्व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर विभाग में कार्य कर रहा था, के सम्बन्ध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किया जाता है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती...की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति वचनबंध के विचार के लिए उसकी अभ्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के समय श्री/श्रीमती........................ ....रू. मासिक मूल वेतन...आहरित कर रहा था/ कर रही थी और कि श्री/श्रीमती...अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गया है/हो गयी है और श्री/श्रीमती..के विरूद्ध कोई विभागीय जाँच/आपराधिक मामला लम्बित नहीं है तथा इनकी सेवाएं जिस पद के विरूद्ध ली जा रही है, उससे किसी प्रकार नियमित कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नही होगा।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर मय सील

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सम्बन्ध में आवेदन प्रारूप

01. सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम

02. पिता का नाम

03. जन्म तिथि

04. अर्हताए

05. मूल विभाग का नाम

06. सेवानिवृत्ति के पूर्व धारित पद

07. अनुभव

08. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन (रनिंग पे बैण्ड वेतन + ग्रेड पे)
(एलपीसी संलग्न है)

09. मूल पेंशन राशि (पीपीओ संलग्न)

10. धारित पद का वेतनमान
(सेवानिवृत्ति के समय)

11. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र
(संलग्नानुसार)

12. स्थाई पता

सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिए वचनबंध

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों को लगाने के लिए राज्य सरकार के परिपत्र सं एफ.17(10) डीओपी/ए–II/94 दिनांक 08.02.2018 में दिये गये सहमत निर्बधनों और शर्तो के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् राज्य सरकार में समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी वचनबंध के उक्त निर्बधनों और शर्तों को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

स्थानः
दिनांकः

सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी
के हस्ताक्षर